

नगर पार्षद, हनुमानगढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

फ़ॉ- 6796

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दि- 06/08/25

आवेदन नं.:

LSG/HANUMANGARH/FIRENOC/2025-26/50203

जारी दिनांक:

06-AUG-2025

वैधता दिनांक:

05-AUG-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

NAVJOT KAUR

आवेदक का पता:

VILLAGE SARHALI KALAN SOHAWA TARN TARAN
PUNJAB 143410

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन AKAL ACADEMY, 00, KAMRANI TIBBI, KAMRANI, HANUMANGARH, HANUMANGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व शिक्वोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Principal
AKAL ACADEMY
Kamrani, Hanumangarh
Rajasthan

Manager
Akai Academy

Signed by: Mohammed Yunas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: HANUMANGARH, Rajasthan
Date: 06/08/2025 13:57:20

अग्निशमन अधिकारी

नगर परिषद, हनुमानगढ़
सहा अग्नि शमन अधिकारी

नगरपरिषद् हनुमानगढ़

Page 1 of 1

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 6796

Dated: 06/08/2025

Certified that the AKAL ACADEMY KAMRANI (11034).... (name of the building or premises) at VPO KAMRANI, TIBBI ROAD KAMRANI, HANUMANGARH (RAJ) (address) comprised of 07+2 Total Area basement(s) and 3016.53 Sqm = 32469.65 Sq Ft (total) (upper floors) owned/ occupied by AKAL ACADEMY KAMRANI, HANUMANGARH (RAJ) (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on (date of inspection) in the presence of (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes NUR to XII (X/ XII) With effect from 05/06/2025 for a period of two year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 06/08/2025 (date of issue) at Nagar, Parit Sad..... (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: (Signature)

Name : युनुस खान

Designation : सहायक अग्निरामन अधिकारी

Name & Address of Department/ Office:

To

AKAL ACADEMY KAMRANI
V.P.O. KAMRANI, TIBBI ROAD HANUMANGARH (RAJ)
(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to
(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

Principal
AKAL ACADEMY
Kamrani, Hanumangarh
Rajasthan

(Signature)
Manager
Akai Academy

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

दिनांक 25/03/2025

क्रमांक-एफ 29()फायर/डीएलबी/2025/94

आदेश

राज्य के सभी अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन/अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं यथा अग्नि सुरक्षा यंत्र यथा स्मॉक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, एम.सी.बी. हूटर, फायर अलार्म इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 की धारा 103(1)(vii), 337 एवं सपठित धारा 255, 291 एवं 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त आदेश एवं परिपत्र अधिक्रमित करते हुए विभागीय आदेश दिनांक 14.09.2023 जारी किया गया था।

उक्त आदेश के सामान्य निर्देश के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार नगरीय निकाय में सेफ्टी प्रमाण-पत्र/फायर एन.ओ.सी. के आवेदन प्राप्त होने पर समुचित अग्निशमन यंत्र लगे होने तथा चालू हालत में होने की दशा में निर्धारित शुल्क लेकर सामान्य तौर पर प्रतिवर्ष तथा औद्योगिक एवं चिकित्सा प्रकृति के भवनों के संबंध में तालिका-3 एवं तालिका-4 के अनुसार 1 वर्ष/3 वर्ष/5 वर्ष के लिए फायर एन.ओ.सी. जारी किये जाने के प्रावधान हैं।

बजट घोषणा वर्ष 2025-2026 के बिन्दु संख्या 150 पर की गयी घोषणा के क्रम में नगरीय निकाय में सेफ्टी प्रमाण-पत्र/फायर एन.ओ.सी. के आवेदन प्राप्त होने पर समुचित अग्निशमन यंत्र लगे होने तथा चालू हालत में होने की दशा में निर्धारित शुल्क लेकर सामान्य प्रकार के भवनों हेतु न्यूनतम दो वर्ष तथा औद्योगिक एवं चिकित्सा प्रकृति के भवनों के संबंध में तालिका-3 एवं तालिका-4 के अनुसार 2 वर्ष/3 वर्ष/5 वर्ष के लिए फायर एन.ओ.सी. जारी की जा सकेगी। इसके साथ ही आवेदक द्वारा फायर एन.ओ.सी. पोर्टल पर प्रतिवर्ष स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। फायर एन.ओ.सी. की प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जाकर 15 दिवस में फायर एन.ओ.सी. जारी की जानी आवश्यक होगा।

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- No. 95-444 Date 25/03/2025

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।